



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03, 1947 शक सम्बत्) [संख्या-43

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु० 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	843-847	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	339-344	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	407-414	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग)

अधिसूचना

08 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-1140/XXxi(15)G/13(सा0)/2025-चूँकि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 9/10/2025-सीडी (सीईएन), दिनांक 27 जून, 2025 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार विद्यमान नगर पालिकाओं, राजस्व गाँवों, तहसीलों, उप मण्डलों, जिलों आदि की सीमाओं में कोई भी बदलाव करने के प्रस्तावों को 31 दिसम्बर, 2025 के पहले अन्तिम रूप देकर प्रभावी करें। अधिकार क्षेत्र में कोई भी बदलाव होने पर इन बदलावों की सूचना राज्य में संबंधित जनगणना निदेशालय और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को दी जाए;

और चूँकि, भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया है कि उपर्युक्त प्रशासनिक इकाईयों की सीमा में 01 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2027 की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन, जो भी हो, प्रभावी न किया जाए;

अतएव अब राज्यपाल, जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 8 के खण्ड (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिकाओं, राजस्व गाँवों, तहसीलों, उप-मण्डलों, जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2026 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्देश देते हैं।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव।

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1140/XXXVI(15)/13 (सा0)/2025, Dated- October 08, 2025 for general information.

NOTIFICATION

October 08, 2025

No.1140/XXXVI(15)/13 (सा0)/2025--Whereas it has been requested by the letter No. 9/10/2025-CD (CEN), dated 27 June 2025 of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi that the State Government should finalize and implement the proposals for making any changes in the boundaries of existing municipalities, villages, tehsils, sub-divisions, districts etc. before 31 December 2025. In case of any change in jurisdiction, these changes should be informed to the concerned Census Directorate in the State and the Office of the Registrar General of India;

And whereas the Government of India has also requested the State Government to ensure that no change, whatsoever, is effected in the boundary of the above mentioned administrative units during the period from 01 January, 2026 to 31 March, 2027;

Now therefore in exercise of the power conferred under clause 4 of rule 8 of the Census Rules, 1990 the Governor directs that no change shall be made in the administrative boundaries of municipalities, revenue villages, tehsils, sub-divisions, districts etc. during the period starting from 01 January, 2026 and ending on 31 March, 2027.

By Order,

ANAND BARDHAN,

Chief Secretary.

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

17 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या-31 नो-ए/XXXVI-A-1/2025-74 नो-ए/2002-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनोज रतूड़ी, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मनोज रतूड़ी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 31/No-A/XXXVI-A-1/2025-74 No-A/2002, Dated- October 17, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 17, 2025

No. 31/No-A/XXXVI-A-1/2025-74 No-A/2002--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Manoj Raturi, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for **District Headquarter Dehradun** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Manoj Raturi** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

17 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या-31 नो-M/XXXVI-A-1/2025-18 नो-एम/2010-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मो० सलीम, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मो० सलीम का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 31 No-M/XXXVI-A-1/2025-18 No-M/2010, Dated- October 17, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 17, 2025

No. 31 No-M/XXXVI-A-1/2025-18 No-M/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Mohd. Salim, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for **Tehsil Khatima, District Udham Singh Nagar** in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Mohd. Salim** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

17 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-32 नो-ए/XXXVI-A-1/2025-74 नो-ए/2002-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री प्रणव कुमार गोयल, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री प्रणव कुमार गोयल का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 32 No-A/XXXVI-A-1/2025-74 No-A/2002, Dated- October 17, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 17, 2025

No. 32 No-A/XXXVI-A-1/2025-74 No-A/2002--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Pranav Kumar Goyal, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for **District Headquarter Dehradun** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Pranav Kumar Goyal** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

17 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-59 नो-बी/XXXVI-A-1/2025-08 नो-बी/2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती अलका मेहता, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती अलका मेहता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 59 No-B/XXXVI-A-1/2025-08 No-B/2011, Dated- October 17, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 17, 2025

No. 59 No-B/XXXVI-A-1/2025-08 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Alka Mehta, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for **District Headquarter Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Alka Mehta** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRASHANT JOSHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 ई0 (कार्तिक 03, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 326/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 18.08.2025 to 06.09.2025 with permission to prefix 15.08.2025, 16.08.2025 & 17.08.2025 as Independence Day, Shri Krishna Janmashtami & Sunday holiday and suffix 07.09.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 327/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 09 days w.e.f. 03.07.2025 to 11.07.2025 with permission to suffix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 328/XIV-81/Admin.A/2003--Ms. Anjushree Juyal, 2nd Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 12 days w.e.f. 02.09.2024 to 13.09.2024 with permission to prefix 01.09.2024 as Sunday holiday and suffix 14.09.2024 to 16.09.2024 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*October 06, 2025*

No. 329/XIV-81/Admin.A/2003--Ms. Anjushree Juyal, 2nd Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 22 days w.e.f. 14.02.2025 to 07.03.2025.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION*October 06, 2025*

No. 330/XIV-a-30/Admin.A/2016--Ms. Bharti Manglani, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 01.07.2025 to 11.07.2025 with permission to suffix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION*September 18, 2025*

No. 2120/III(5)-B-2009-10/2025/SLSA--Ms. Kusum, Chairman, Permanent Lok Adalat, Tehri Garhwal is hereby sanctioned Medical Leave for a period of 17 days w.e.f. 18.08.2025 to 03.09.2025.

NOTIFICATION*October 08, 2025*

No. 2233/III(2)-B-2009-10/2025/SLSA--Ms. Neetu Joshi, Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 26 days w.e.f. 01.09.2025 to 26.09.2025 with permission to prefix 31.08.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION*October 09, 2025*

No. 2255/III-A-1/2009/SLSA/2025--Ms. Shachi Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Almora is hereby sanctioned Medical Leave for a period of 15 days w.e.f. 22.09.2025 to 06.10.2025.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

**कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)**

कार्यालयादेश

21 जुलाई, 2025 ई०

पत्रांक-1002/निलम्बन/2025—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जुलाई, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1.	श्री नीरज मोहन जोशी पुत्र श्री जगमोहन जोशी, चनई ढकेना, बडोला, जनपद चम्पावत।	UK-0320170034334	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 21.07.2025 से दिनांक 20.10.2025 तक
2.	श्री रविशंकर पुत्र श्री दिनेश कुमार, चुरारी, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320220000749	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3.	श्री सागर कुमार पुत्र श्री देव राम, पाभेजगता, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520190045397	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4.	श्री मनीष कुमार पुत्र श्री शेखर राम, बाजरीकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320230002565	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5.	श्री विशाल सिंह सामन्त पुत्र श्री जवाहर सिंह, चरसूला, ऐचोली, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520180038157	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6.	श्री विजय राजन भारती पुत्र श्री मुरलीधर 17/194 एल आई सी रोड आवास विकास, पीलीभीत थाना कोतवाली, पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620210011512	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7.	श्री वैभव मेहरा पुत्र श्री आनन्द सिंह मेहरा, उत्तरांचल कॉलोनी कुसुमखेरा फेज-I, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UK-0420160172237	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8.	श्री विनय कश्यप पुत्र श्री राम कुमार, वार्ड नं. 03, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320220002870	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9.	श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री दामोदर जोशी, वार्ड नं. 02 चन्द कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320230006486	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10.	श्री किशन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम सील, चौमेल बाराकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320150024921	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	उपरोक्तानुसार
11.	श्री अमित पंगरिया पुत्र श्री हरीश चन्द्र पंगरिया, 57, नागनाथ वार्ड, जनपद चम्पावत।	UK-0320250002919	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	उपरोक्तानुसार
12.	श्री आयुष सिंह करायत पुत्र श्री आनन्द सिंह करायत, मृत्युराज, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320250001726	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री हेमन्त भट्ट पुत्र श्री सन्तोष भट्ट, भडेलामुथ वार्ड, ऐचोली, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520170030046	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री सूर्य प्रताप राय पुत्र श्री राकेश राय, दीहघाट, गोरखपुर, उ.प्र.	UP-5320140033890	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री आन सिंह पुत्र श्री खीम सिंह बोरा, गोल्थी गंगोलीहाट, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	UK-0520100001525	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री राहुल कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार, ग्राम एवं पोस्ट पौटा कलां, पीलीभीत, उ.प्र.	UP-2620210008190	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना/तीन सवारी।	उपरोक्तानुसार

17.	श्री उर्मेश पुत्र श्री ओम चाल, वार्ड नं. 07, लाल ईमली पड़ाव, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150027821	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से/सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
18.	श्री लक्ष्मण जोशी पुत्र श्री दत्त राम जोशी, मोराडी, जनपद चम्पावत।	UK-0320180000736	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह चौहान, चमतोला सीटारखाल, पाटी, जनपद चम्पावत।	UK-0320140018543	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहोरन लाल, महोरानियों, पो. भण्डसरा, इज्जतनगर, बरेली, उ.प्र.।	UP-2520190012334	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नियमों का उल्लंघन/दोषपूर्ण नम्बर प्लेट/बिना बीमा/बिना प्रदूषण	उपरोक्तानुसार
21.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जोगा राम, फागपुर, चन्दनी बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320220003006	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
22.	श्री उमाशंकर पुत्र श्री बाबू राम, साहब गंज, नवाबगंज, बरेली, उ.प्र.।	UP-2520150006361	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
23.	श्री इन्द्र देव पुत्र श्री भोला दत्त, म.न. 21, कोलकुलाडी, कोटकेन्द्रीय, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150027440	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
24.	श्री ख्वाजा अहमद पुत्र श्री सफी अहमद, ग्राम मनिहारगोट, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320060027312	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री शंकर सिंह पुत्र श्री बहादूर सिंह, गुरु खुडा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320240001553	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
26.	श्री इरशाद पुत्र श्री अख्तियार, उमरुखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160032862	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
27.	श्री योगराज वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल वर्मा, पाटन पाटनी वर्मा निवास, तल्ली चौदमारी, पोस्ट एवं तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320140022162	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
28.	श्री भावेश चन्द्र पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, राधा किशन विहार कालौनी धोलाखेड़ा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UK-0420150156010	प्रवर्तन दल, टनकपुर	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री आकाश सिंह रावत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह रावत, ग्राम ज्ञानखेड़ा, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320170036140	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, ग्राम नायकगोट, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320180001128	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री महेश सिंह पुत्र श्री हयात सिंह, ग्राम नायकगोट, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0319910023102	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
32.	श्री नितिन कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, विष्णुपुरी कालौनी मोहनपुर, वार्ड नं. 11, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320220002859	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
33.	मोहम्मद तसलीम पुत्र इम्तियाज अहमद, वार्ड नं. 14, पकड़िया, नौगवा, इस्लाम नगर, पीलीभीत, उ.प्र.	UP-2620190001698	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
34.	श्री भरत सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, म.न. 02ख, मुसगाँव, अलगार, तहसील डीडाहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160023764	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
35.	श्री तेज सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, गरिया मनाली, अस्कोट, डीडाहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160024123	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार

36.	श्री बीरेन्द्र सिंह बेलाल पुत्र श्री पुरन सिंह बेलाल, म.न. 596, श्रीपुर बिचवा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320120009454	प्रवर्तन टनकपुर	दल,	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
37.	श्री नरेन्द्र सिंह लोहिया पुत्र श्री बी.आर. लोहिया, जी.जी.आई.सी. इण्टर कालेज, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320120010790	प्रवर्तन टनकपुर	दल,	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
38.	श्रीमती भवानी देवी पत्नी श्री दान बहादूर चन्द, म.न. 28, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320120011362	प्रवर्तन टनकपुर	दल,	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
39.	श्री सलमान हैदर पुत्र श्री सरदार मोहम्मद, वार्ड नं. 05, एफ.सी.आई. रोड, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150022904	प्रवर्तन टनकपुर	दल,	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
40.	श्री शहवाज सिद्दकी पुत्र श्री शाहिद हुसैन, म.न. 238, ग्राम मनिहारगोट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150025763	प्रवर्तन टनकपुर	दल,	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
41.	श्री रंजीत कुमार पुत्र श्री राम कुमार, म.न. 443, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320140020285	प्रवर्तन टनकपुर	दल,	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

कार्यालयादेश

26 अगस्त, 2025 ई0

पत्रांक-1159/निलम्बन/2025—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञापति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञापति को निरहित (माह अगस्त, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:—

क्र.स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, नानपापो, डीडिहाट, जनपद पिथौरागढ़	UK-0520070012266	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 26.08.2025 से दिनांक 25.11.2025 तक
2.	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री दान सिंह, नायकगोट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0419800072545	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाकर ले जाना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री हरक सिंह बिष्ट पुत्र श्री ध्यान सिंह बिष्ट, 142/AMDDA कालोनी, त्यागी रोड, देहरादून।	UA-0719970200079	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री सदानन्द भट्ट, पल्सी, तह. चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320150025243	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5.	श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री नर सिंह, दुबड जेनल, जनपद चम्पावत।	UK-0320110006197	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6.	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बिहारी लाल, वार्ड नं. 10, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320100001911	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 26.08.2025 से दिनांक 25.02.2025 तक
7.	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री एल.आर. आर्या, खर्क कार्की, जनपद चम्पावत।	UK-0320070001114	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 26.08.2025 से दिनांक 25.11.2025 तक
8.	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजीव कुमार, PWO, आजाद नगर हरदोई, उ.प्र.।	UP-3020080003977	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
9.	श्री बब्लू सिंह पुत्र श्री पान सिंह, अमोड़ी, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320240007430	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
10.	श्री सुमित कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, ए.टी. बैंक ऑफ इण्डिया प्रतापपुरा, छतरा, झारखण्ड।	JH-1320230002204	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
11.	श्री मोहित कुमार पुत्र श्री रमेश राम, सिमराडी, पल्सी, जनपद चम्पावत।	UK-0320250003904	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

12.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगत राम, हिउला, पुगंला, अमोड़ी, जनपद चम्पावत।	UK-0320180002265	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री भवान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, अमोड़ी पचनई, जनपद चम्पावत।	UK-0320250002296	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री प्रकाश सिंह पुत्र गणेश सिंह, सुतेडा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320210003791	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री अंशित कुमार पुत्र श्री मुरलीधर, गैडाखाली नं.-03, पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240006259	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री प्रदीप भट्ट पुत्र श्री गिरीश चन्द्र भट्ट, धौन, बस्टिया, जनपद चम्पावत।	UK-0320240001746	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री शंकर राम पुत्र श्री करम राम, बस्टिया, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0319950003952	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाकर ले जाना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्री अमित कुमार ठाकुर पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, एन.एच.पी.सी., कालौनी, बनबसा कैनाल रेंज, पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240003478	प्रवर्तन टनकपुर दल,	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राज कुमार, बरालोकपुर, चौबिया, ईटावा, उ.प्र।	UP-7520150018436	प्रवर्तन टनकपुर दल,	भार वाहन में सवारी बैठाकर ले जाना।	उपरोक्तानुसार
20.	मो आफिफ पुत्र श्री अब्दुल रसीत, गौर समसपुर, भोजीपुरा, बरेली, उ.प्र।	UP-2520180019123	प्रवर्तन टनकपुर दल,	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, अमाऊ खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320210005405	प्रवर्तन टनकपुर दल,	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
22.	श्री विकास कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, अमाऊ, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320180001953	प्रवर्तन टनकपुर दल,	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

कार्यालयादेश

01 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक-1189/निलम्बन/2025—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह अगस्त, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री दर्शन राम मौन, पोखरी, फुंगर, जनपद चम्पावत।	UK-0320180001288	प्रवर्तन टनकपुर दल,	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 31.08.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक
2	श्री राजेश वरुण पुत्र श्री राधे लाल, श्यामलाताल, जौल, पूर्णागिरी, जनपद चम्पावत।	UK-0320220001287	प्रवर्तन टनकपुर दल,	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री फरीद पुत्र श्री वाहिद, मोहल्ला मिया खान न्यूरिया हुसैनपुर, पीलीभीत, उ.प्र।	UP-2620190001656	प्रवर्तन टनकपुर दल,	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री जोत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, म न. 37, डुंगराबोरा पोस्ट मडुवा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320130017480	प्रवर्तन टनकपुर दल,	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार

सुरेन्द्र कुमार,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी
टनकपुर चम्पावत।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 ई0 (कार्तिक 03, 1947 शक सम्बत)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 213108831255 में त्रुटिवश उसका नाम अन्नू (Annu) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सुहाना (Suhana) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 157 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को सुहाना (Suhana) D/o Harish Kumar के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Harish Kumar

निवासी—डुंगरी सुमेरपुर रुद्रप्रयाग,

उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम अभिषेक से बदलकर अभिषेक सिंह कर लिया है। भविष्य में मुझे अभिषेक सिंह पुत्र नीलम देवी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अभिषेक (मौजूदा पुराना नाम)

पुत्र नीलम देवी

निवासी 635/G2B माहि प्लेस के पास,

आदर्श नगर, रुड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

पूर्व में मेरा नाम मिनू गौतम पुत्री शिवकुमार था, मेरे आधार कार्ड संख्या 933317603915 में त्रुटिवश मेरा नाम मुस्कान गलत दर्ज हो गया है लेकिन शादी के बाद मैंने अपना नाम मिनू गौतम से बदलकर मिनू कुश पत्नी आशीष कुश कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मिनू कुश पत्नी आशीष कुश

निवासी सुनहैरा, सरस्वती विहार,

रुड़की, जिला हरिद्वार।

सूचना

मेरे पुत्री के आधार कार्ड नं0 601162628066 में त्रुटिवश उसका नाम स्वाति (SWATI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम परी (PARI) है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 B20255093250000076 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को परी (PARI) पुत्री श्री ओमकार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

ओमकार

निवासी- म0नं0 126, खानपुर हरिद्वार

उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं० 741654950606 में त्रुटिवश उसका नाम काव्य शाही (Kavya Sahi) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम काव्यांश शाही (Kavyansh Sahi) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० B202505901700009942 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को काव्यांश शाही (Kavyansh Sahi) पुत्र Jeevan Sahi के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Jeevan Sahi

निवासी— चोईला देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

My name is wrongly recorded as Noipravat in my Aadhaar card, whereas My correct name is Navprabhat, which is also recorded in my educational documents. In future I should be known by my correct name.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Navprabhat S/o Shri Lakhiram,

R/o village Tharta Post Pingwa,

Tehsil Chakrata, District Dehradun, (UK)

सूचना

मेरे पिता LATE JOGINDER PAL की एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 271993091 नॉमिनी में मेरा नाम घरेलू PARAS RATHI गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी वास्तविक नाम प्रियांशी राठी (PRIYANSHI RATHI) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं० 25125659 व आधार कार्ड नं० 675452718805 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे प्रियांशी राठी (PRIYANSHI RATHI) D/O LATE JOGINDER PAL से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(PRIYANSHI RATHI)

D/O LATE JOGINDER PAL

निवासी—पोस्ट नारसन कलां

हरिद्वार रुड़की उत्तराखंड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 462204546967 में त्रुटिवश मेरा नाम सुऐब (SUAIB) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम राव सोयब (RAO SOYAB) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 5319153 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे राव सोयब (RAO SOYAB) S/o RAO SHAMSHER के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(RAO SOYAB) S/o RAO SHAMSHER
निवासी-पोस्ट ढंढेरा रुड़की जिला-हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 422181656751 में त्रुटिवश मेरा नाम परतुमा (Partuma) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रतिमा देवी (Partima Devi) है जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या B-2023:5-00080-000017 में व स्थाई निवास प्रमाण पत्र UK25ES0100367631 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मुझे प्रतिमा देवी (Partima Devi) पत्नी श्री सैन सिंह के नाम से जाना पहचाना, पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रतिमा देवी (Partima Devi)
पत्नी श्री सैन सिंह
निवासी 32 खनियसणी दोनी,
उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम-विमला फैलोज पुत्री श्री एन्डरूज सैमुएल फैलोज था। लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम-विमला फैलौज से बदलकर विमला शाह कर लिया है। जो मेरी पुत्री शीना शाह के जन्म-प्रमाण-पत्र B20070908184 में भी सही दर्ज है। लेकिन मेरे आधारकार्ड नं0 462409157574 में त्रुटिवश मेरा नाम-विमला शाह के स्थान पर शाहीन खान गलत दर्ज हो गया है। भविष्य में मुझे विमला शाह पत्नी श्री आलम शाह के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विमला शाह पत्नी श्री आलम शाह
निवासी-61, चकराता रोड़ देहरादून,
उत्तराखण्ड 248001

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 770739056771 में त्रुटिवश मेरा नाम कामरान (KAMRAN) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम MOHD AMAN है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25129895 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे MOHD AMAN S/O MOHD RAFI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

MOHD AMAN

निवासी 877 मस्जिद के पास आजाद नगर

रुडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 282705929460 में त्रुटिवश मेरा नाम रघुबीर सिंह (RAGHUBEER SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम रगबीर सिंह (RAGBEER SINGH) है। जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 167947 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे रगबीर सिंह (RAGBEER SINGH) पुत्र स्व0 टंखु राम (TANKHU RAM) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

रगबीर सिंह (RAGBEER SINGH)

पुत्र स्व0 टंखु राम (TANKHU RAM)

निवासी-32, सिविल हॉस्पिटल कैम्पस

रुडकी, जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 831493321444 में त्रुटिवश मेरा नाम राजू मैसी (RAJU MASSEY) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सैमसन मसीह (SAMSON MASIH) है। जो मेरे पुत्र JOHNY MASIH के हाईस्कूल अनुक्रमांक 16016374 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सैमसन मसीह (SAMSON MASIH) पुत्र श्री सन्नी मसीह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

सैमसन मसीह निवासी 21 शेर कोठी

मिसन कम्पाउंड 01, सिविल लाईन

रुडकी उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, रामनगर
भवनकर संशोधित उपविधि वर्ष 2025

01 सितम्बर, 2025 ई0

पत्रांक-412/7-नजूल अनु0/2025-26-सरकारी गजट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शनिवार 7 नवम्बर 1987 ई0 (कार्तिक 16, 1909 शक संवत्) में प्रकाशित एवं उत्तराखण्ड गजट 06-12-2014 (अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत्) में संशोधित नगरपालिका परिषद रामनगर जिला नैनीताल की वर्तमान में प्रचलित भवनकर नियमावली को निम्नानुसार संशोधित किये जाने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 24-05-2025 में प्रस्ताव सं0 02 द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उत्तरप्रदेश अधिनियम 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए संशोधित भवनकर नियमावली पर आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन किया गया, जिस पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किये जाने उपरान्त भवनकर उपविधि 2025 निम्नानुसार लागू की जाती है :-

क्रम सं0	भवनकर नियमावली में प्रचलित नियम	भवनकर नियमावली में संशोधित नियम
01	14 (अ) विरासत तथा वसीयत से मिलने वाली सम्पत्ति पर रु 25.00 रुपये	14 (अ) विरासत/वसीयत के आधार पर नामांतरण शुल्क 500.00 रुपये
02	14 (ब) बैनामें द्वारा मिलने वाली सम्पत्ति की दशा में 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) तक की मूल्य की सम्पत्ति पर 1000.00 (एक हजार रुपये) तथा 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर 2000.00 रुपया फीस ली जायेगी।	14(ब) 1. बैनामे के आधार पर 10 लाख रुपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 2500.00 रुपये, 2. बैनामे के आधार पर 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 4000.00 रुपये, 3. बैनामे के आधार पर 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 5500.00 रुपये, 4. बैनामे के आधार पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 7500.00 रुपये, 5. बैनामे के आधार पर 1 करोड़ रुपये से अधिक पर नामांतरण शुल्क अंकन 11000.00 रुपये

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशाली अधिकारी,
नगरपालिका परिषद रामनगर

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद रामनगर

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्तर्गत श्वान पशुओं के लाइसेंस शुल्क से
सम्बन्धित उपविधियाँ

11 अगस्त, 2025 ई0

पत्रांक 2508/(11)स्वा0अनु0/श्वान पशु उपविधि-2025/2025-26-नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172(2) (ड) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधिनियम की धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्वान पशुओं के रखने/पालने पर पंजीकरण किये जाने हेतु अनुज्ञा के क्रम में उपविधि-2025 प्राख्यापित की जानी है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है :-

यदि किसी भी संघटन/संस्था अथवा हितवद्ध को निम्न में किसी भी प्रकार का सुझाव/संशोधन/आपत्ति/दावे किये जाने की अपेक्षा हो तो, इस विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में अद्योस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्ड कॉपी अथवा ईमेल-npprishikesh@gmail.com पर सुसंगत अभिलेख मय सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं। तदोपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम, ऋषिकेश में श्वान पशु लाइसेंस उपविधि 2025 कहलायेगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. परिभाषाएँ:-
 - (क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश व उसकी सीमा से है।
 - (ख) "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश के नगर आयुक्त से है।
 - (ग) " अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है।
4. प्रत्येक 3 माह अथवा इससे अधिक की आयु का श्वान पशु नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्दर रखने/पालने पर इसका पंजीकरण नगर निगम, कार्यालय में कराना आवश्यक होना, जो प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा।
5. प्रत्येक ऐसे श्वान पशु, जिसका पंजीकरण कराना हो, के (1) लिंग, (2) रंग, (3) नस्ल (यदि ज्ञात हो) की सूचना नगर निगम ऋषिकेश के समक्ष अधिकारी को उसके स्वामी द्वारा आवेदन प्रेषित करना होगा। इसके लिए आवेदन-पत्र के साथ रु0 500/- का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ श्वान पशु को एंटी रैबीजरोधी वैक्सीन का टीकाकरण लगा होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. श्वान पशु के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा। विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र पर प्रतिमाह रु0 50/- विलम्ब शुल्क देय होगा।
7. प्रत्येक श्वान पशु के पंजीकरण के पश्चात् उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा, जो श्वान पशु के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा।

8. किसी भी पंजीकरण के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन रू0 100/- के दण्ड शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा, श्वान पशु के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में श्वान पशु पंजीकरण रहित माना जायेगा।
9. प्रत्येक ऐसा श्वान पशु जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले के टोकन के पाया जायेगा, पकड़कर जब्त करने योग्य होगा।
10. श्वान पशु को टहलाने के दौरान सार्वजनिक मार्गों/स्थानों पर मल मूल त्याग नहीं कराया जायेगा। पकड़े जाने पर प्रथम बार रू0 100/- द्वितीय बार रू0 500/- एवं तृतीय बार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
11. प्रतिबन्धित नस्ल के श्वान पशु के पालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा, यदि प्रतिबन्धित श्वान पशु किसी के द्वारा पाला/रखा जाता है तो पकड़े जाने पर रू0 20,000/- (बीस हजार रुपये) का जुर्माना वसूला जायेगा।

दण्ड

इस नियामावली के नियम 4 से 9 तक की अवहेलना होने पर श्वान पशु स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो रू0 500/- तक हो सकेगा एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रू0 50/- तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा।

गोपाल राम बिनवाल,

नगर आयुक्त,

नगर निगम ऋषिकेश।